मेहनतकशों से सीटू की अपील

15वीं लोक सभा चुनावों में

वामपंथी–जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष

पार्टियों को वोट दो!

यू.पी.ए. एवं एन.डी.ए.

दोनों को ही शिकस्त दो!

जनहितैषी विकल्प को जिताओ!

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र

मेहनतकशों से सीटू की अपील

15वीं लोक सभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। देश के तमाम मेहनतकशों और वंचित एवं शोषितों को तय करना है कि वह अपने वोट के अधिकार का किस तरह उपयोग करें। मेहनतकशों के लिए, यह आम चुनाव इस नजरिए से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले 11 वर्षों में से 6 वर्ष तक भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. तथा 5 वर्ष के दौरान कॉंग्रेस नेतृत्व वाली यू.पी.ए. द्वारा अपनायी गयी वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर नयी सरकार का चुनाव करना है। देश के मजदूरों के समक्ष सबसे अहम् सवाल यह है कि एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीतियों का समर्थन करें अथवा उन्हें रद्द करके तीसरे विकल्प पर विचार करे? सीटू पुनः जोर देकर कहना चाहता है कि इन नीतियों के कारण मजदूरवर्ग और समाज के आम आदमी का जीवन बदहाल ही हुआ है। हम सभी को इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना होगा कि क्यों न एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों को हराया जाय और क्यों न नयी सरकार के गठन के लिए वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को चुना जाए।

यू.पी.ए. शासन - आम आदमी की अनदेखी

देखा जाए तो अप्रैल–मई 2004 में चुनी गयी 14वीं लोक सभा को यह स्पष्ट जनादेश था कि आम जनता ने एक स्वर से एन.डी.ए. द्वारा अपनायी नयी आर्थिक नीतियों को ठुकरा दिया है, जिन नीतियों के कारण एन.डी.ए. शासन में खुली लूट के द्वारा आम आदमी का ख़ून चूसकर अमीरों को ही और अधिक अमीर बनने का मौका दिया गया। तथा इस चुनाव ने भाजपा द्वारा जनता को धार्मिक आधार पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरने की राजनीति को भी पूरी तरह नकार दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में महाजनी, गरीबी तथा फसलों की बर्बादी ने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, जो

कि सरकार की जमींदारों, मुनाफाखोरों और विदेशी पूँजी के हित में चलायी गयी नीतियों का ही दुष्परिणाम है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और लगातार घटते वेतन ने शहरी क्षेत्रों के गरीब मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी। यद्यपि एन.डी.ए. को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया परन्तु यू.पी.ए. को भी अपने बूते सरकार बनाने का मौका नहीं दिया।

यू.पी.ए. के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम् कार्यक्रम (NCMP) में किए गए 6 प्रमुख वायदों को वामपंथी पार्टियों के समर्थन से ही यू.पी.ए. सरकार बन सकी। ये 6 वायदे एन.डी.ए. सरकार द्वारा अपनायी गयी जन विरोधी नीतियों में बुनियादी बदलाव लाने से सम्बन्धित थे। ये वायदे इस प्रकार हैं :–

1) आम आदमी के हित में तथा आत्म निर्भर आर्थिक नीतियां बनाकर सभी योजनाओं को इस दिशा में चलाना।

2) देश की आर्थिक स्वंतत्रता को मजबूत करना।

3) श्रम अधिकारों की रक्षा एवं विस्तार करना।

4) सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना।

5) राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना और एन.डी.ए. शासन द्वारा साम्प्रदायिक ताकतों को दिए गए बढ़ावे को दुरूस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

6) स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना।

पिछले 5 वर्षों में यू.पी.ए. ने जानबूझकर इरादतन पूरी तरह से वादा खिलाफी की है। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून या वन जनजाति कानून अथवा किसानों के कर्ज की माफी आदि जो कुछ भी आम आदमी के लिए कदम उठाए गए उसके पीछे यू.पी.ए. की नीयत नहीं बल्कि सरकार को समर्थन कर रही वामपंथी पार्टियों तथा मजदूरों एवं अन्य जन संगठनों के आन्दोलन का दबाव रहा है। याद रहे कि यू.पी.ए. शासन के 5 वर्षों के दौरान मजदूर वर्ग ने 3 बड़ी अखिल भारतीय हड़तालें की हैं।

उपरोक्त के साथ–साथ यू.पी.ए. सरकार ने अनेक जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी कदम उठाए है। इस सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मध्यम एवं लघु उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने, सार्वजनिक

उद्यमों में ठेकेदारी एवं उनको औने पौने दामों पर विनिवेश, पेंशन फण्ड का निजीकरण, बैंक एवं बीमा क्षेत्र को अनियंत्रित करने और खुदरा व्यापार में विदेशी पूँजी की छूट आदि द्वारा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम् कार्यक्रम (NCMP) का उल्लंघन करने की कोशिशें की, लेकिन इन खतरनाक कदमों में से अधिकांश को वामपंथी पार्टियों तथा देशव्यापी ट्रेड यूनियन कार्यवंहियों के दबाव में वापस लेना पड़ा।

पिछले वर्ष दौरान कॉंग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा स्वतंत्र विदेश नीति के साथ वायदा खिलाफी की है। वामपंथी पार्टियों की चेतावनी और विरोध के बावजूद भी कॉंग्रेस नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2007 से ही अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष पूरी तरह हथियार डालने पर उतारू थी, जो वर्ष 2008 में भारत–अमरीकी परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ चक्र पूरा हुआ। इस संधि में हाइड एक्ट के प्रावधान का सीधा सा मतलब है कि इस समझौते द्वारा अमरीकी हित को ही साधा गया है तथा भारत की विदेश नीति को अमरीका के पास गिरवी रख दिया गया है, इस मुद्दे पर वामपंथियों ने यू.पी.ए. सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। यह अलग बात है कि भ्रष्ट तौर तरीकों और धन की ताकत से विश्वासमत पाकर अपनी सरकार बचा सके जिसका सारा देश गवाह है।

आम आदमी की हितैशी सरकार, यू.पी.ए. का दावा - एक सफेद झूठ

यू.पी.ए. सरकार अब अपनी अद्वितीय सफलता का गुणगान कर रही है कि उसके ही दौर में आजादी के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पादन में 7% की दर से लगातार 3 वर्ष तक वृद्धि हुई है। यू.पी.ए. सरकार का उक्त दावे पोल निम्न तथ्यों से उजागर हो जाती है।

☐ यह है कि जिस दौर के लिए सरकार उपरोक्त दावा कर रही है उसी दौर में ग्रामीण आबादी का 65% से अधिक के जीवन स्तर में जबरदस्त गिरावट आयी है। और 1 लाख 50 हजार से अधिक किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं।

☐ यह है कि इसी दौर में ही बेरोजगारी की तीव्रता अथवा रोजगार की

उपलब्धता में भारी गिरावट देखी गयी है। तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस गिरावट की दर 5.26% और शहरी क्षेत्रों में यह 3.45% रही है। यू.पी.ए. सरकार बताए कि संगठित क्षेत्र में ही कुल रोजगार का 70% अधिक ठेके अथवा कैजुअल के रूप में क्यों है? जबकि असंगठित क्षेत्र अथवा अन्य अनौपचारिक रोजगार में तो सारा ही अनिश्चित है, जिसे किसी भी कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है। वेतन भी कानूनी स्तर से बहुत कम है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इतने भारी भरकम विकास के दावे के बावजूद भी, कथित विकास में जिन मजदूरों का वास्तविक योगदान है, उनके वेतन का स्तर लगातार गिर रहा है, और उनका रोजगार भी मालिकों की मेहरबानी पर ही टिका है। नेशनल सैम्पल सर्वे (NSS) के अनुसार वर्ष 2006 में समाप्त हुए दशक में वेतन का हिस्सा 20% से घटकर सिर्फ 12.5% ही रह गया था। जिसमें वर्ष 2006 के बाद के खासकर वर्ष 2008 में तो वित्तीय संकट एवं मंदी के चलते और भी अधिक गिरावट दर्ज हुई है।

☐ कांग्रेस नेताओं द्वारा गायी जा रही सकल घरेलू उत्पादन में तेज वृद्धि के दौर में ही वर्ष 2007–08 के दौरान देश करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या में 22.7% से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। अतंर्राष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त एक पत्रिका में वर्ष 2008 में छपी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक 10 अमीरों की सूची में 4 भारतीय है, जबकि सिर्फ 2 जापानी है। यह भी एक तथ्य है कि स्विस बैंकों में जमा भ्रष्ट तरीकों से कमायी जाने वाली रकम सर्वाधिक भारतीयों की ही है। लाखों करोड़ रूपयों का यह काला धन मजदूरों का ख़ून चूसकर, करों की चोरी, भ्रष्टाचार और हवाला के जरिए गैर कानूनी लेन–देन के द्वारा ही कमायी गयी है अर्थात् विकास के लाभ का बड़ा हिस्सा भ्रष्ट एवं शक्तिशाली लोगों द्वारा स्विस बैंकों में भेजा जा रहा है।

☐ कहानी यही समाप्त नहीं होती है कि विकास की ऊँची दर और राजस्व की अद्वितीय वसूली किसी भी तरह आम आदमी को राहत पहुँचाने के काम की साबित नहीं हुई है। निम्न तथ्यों पर एक नजर डालने से स्थिति साफ हो जाती है :

◆ गरीबों की भुखमरी के मामले में दुनिया के 88 देशों में भारत का

स्थान 66वाँ है यहाँ तक कि भारत, सबसे बदहाली के शिकार 25 अफ्रीकी देशों से भी बद्तर है और एशिया में सिर्फ बंगलादेश को छोड़कर सबसे नीचे है।

◆ भुखमरी के मामले में अधिकांश राज्यों की हालत गम्भीर बनी हुई है। देश की 95% आबादी के 17 राज्यों में से 12 की हालत अत्यन्त गम्भीर है, जिसमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक भुखमरी वाला राज्य है।

◆ 23 करोड़ जनता कुपोषण का शिकार है।

◆ देश की आधी अधिक महिलाएं ख़ून की कमी का शिकार है।

◆ पाँच वर्ष की आयु से कम के 42.5% बच्चों का वजन औसत से भी कम है।

◆ पाँच वर्ष की आयु से कम के बच्चों की मृत्युदर 7.4% अर्थात् विश्व में सर्वाधिक है।

◆ देश की कुल आबादी का 77% मात्र रू० 20/– प्रतिदिन पर ही गुजारा करने को मजबूर है।

उपरोक्त सभी तथ्य यह दर्शाते है कि कथित विकास के लाभ को देशी–विदेशी धन्नासेठों और ताकतवर लोगों द्वारा लूट लिया जा रहा है। जबकि गाँवों तथा शहरों में अपने खून–पसीने से धन–सम्पत्ति कमाकर देने वाले करोड़ों मेहनतकशों को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। इनकी लूट के लिए, अधिकाधिक काम के घंटे, कम से कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन, सार्वजनिक चिकित्सा साधनों की कमी, पीने के पानी की कमी, और खाद्य सामग्री सहित तमाम आवश्यक वस्तुओं के दामों में रात–दिन बेतहाशा बढोत्तरी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।

पूर्णरूप से ध्वस्त जन वितरण प्रणाली – गरीबों का राशन गायब

अभी हाल में महँगाई दर में गिरावट का दावा और कुछ नहीं सिर्फ आँकड़ों की बाजीगरी ही है, क्योंकि जहाँ एक ओर मंदी के चलते औद्योगिक वस्तुओं के दाम तेजी से गिर रहे है। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों के दाम 10% से भी अधिक की बढ़ोत्तरी है। इस पृष्ठभूमि में जन

वितरण प्रणाली में से बड़े पैमाने पर गरीब जनता को हटाकर, जन वितरण प्रणाली को लगभग समाप्त ही कर दिया गया है। वर्ष 2004–05 में प्रकाशित एन.एस.एस. आँकड़ों के अनुसार 70.5% ग्रामीण परिवारों, 52% कृषि मजदूर परिवारों, 60.7% ग्रामीण अनुसूचित जाति के परिवारों तथा 55.4% जनजाति परिवारों के पास या तो राशन कार्ड है। ही नहीं, यदि है भी तो गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी का कार्ड है।

कामगारों की संस्थागत लूट

बेमिसाल बेईमान निगम और शेयर बाजार के घोटाले भी इसी दौर में सामने आए है। जनता भुखमरी का शिकार हो रही है, शेयर बाजार के लिए धन की कोई कमी नहीं है। प्रभावशाली राजनेताओं से लेकर बड़े व्यापारियों तथा सट्टेबाजों सहित सभी ने हजारों करोड़ रूपए बनाऐ है। एक दम शुरूआत से ही शेयर बाजार में बड़े–बड़े घोटाले और हेराफेरी होती आ रही है, जिसके द्वारा अमीरों द्वारा मोटी कमाई की जा रही है। हर्षद मेहता काण्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का कोड़ियों के दाम में विनिवेश, नरसिम्हा राव–मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के समय में हुआ टेलीकॉम घोटाला, एन.डी.ए. सरकार के समय हुआ और भी बड़ा केतन पारिख शेयर घोटाला और शेयर बाजार से हजारों कम्पनियों का अचानक गायब हो जाना तथा परिणाम स्वरूप छोटे निवेशकों की खून पसीने की कमाई का पूरी तरह से गायब होना।

अभी हाल में सामने आया सत्यम् काण्ड तो महज नमूना भर है, यदि ईमानदारी से जाँच की जाए तो पता चलेगा कि इस तरह के फर्जी खाते और शेयर बाजार के घोटाले, निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विश्व स्तरीय ऑडीटर्स, नौकरशाहों और तथाकथित बाजार नियंत्रकों की चौकड़ी ने जाने कितने ही कर रखे है। सत्यम् काण्ड में आँध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का सक्रियता से शामिल होना, सीटू के इस दावे को सही साबित करता है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों से भारी पैमाने पर धन प्राप्त करने वाली कॉंग्रेस एवं भाजपा जैसी पार्टियाँ आम आदमी और मजदूरों के हित में काम करने के बजाय देशी–विदेशी धन्नासेठों के हित में काम करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ

निजीकरण और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का विनिवेश एन.डी.ए. और यू.पी.ए. दोनों का ही प्रमुख लक्ष्य रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी कम्पनियों को उनकी बहुमूल्य जमीन आदि सहित मुफ्त में ही निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट साफतौर पर कहती है कि एन.डी.ए. सरकार ने हजारों करोड़ रूपए की परिसम्पत्तियों को कुछ खास निजी क्षेत्र की कम्पनियों के हवाले कर दिया। एकदम ऐसा ही यू.पी.ए. सरकार बी.एच.ई.एल, विजाग स्टील, नैवेली लिग्नाईट, नालको, बैंक और बीमा क्षेत्र के साथ करना चाहती थी। वामपंथियों और मजदूरों के विरोध के कारण नहीं कर सके लेकिन सच्चाई यह है कि यू.पी.ए. द्वारा अपने ही राष्ट्रीय साझा न्यूनतम् कार्यक्रम (NCMP) में वायदा किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार ईकाईयों को पुर्नजीवित किया जाएगा, परन्तु यह वायदा सिर्फ वायदा ही रहा आज तक भी इस दिशा में गम्भीरता से कोई कारगर कदम उठाया ही नहीं गया। मात्र कभी–कभी यू.पी.ए. का कोई–कोई मंत्री बयान भर ही जारी करता रहा है, वास्तविकता में इस दिशा में किया कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर यू.पी.ए. सरकार धीरे–धीरे प्रतिरक्षा से सम्बन्धित अनेक प्रकार के हथियार, गोला–बारूद, हार्डवेयर तथा अन्य प्रकार की सामग्री के साथ अति संवेदनशील संचार उपकरणों तक को भी देशी–विदेशी निजी कम्पनियों को सौंपने पर उतारू है। यह देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। इस प्रकार भारत को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के देशी–विदेशी हथियार उत्पादकों/निर्यातकों पर निर्भर बनाया जा रहा है। ध्यान रहे कि ये देश के संकट की स्थिति में आपूर्ती रोक भी सकते है।। यू.पी.ए. ने इरादतन "प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन" (DRDO) तथा आयुध फैक्ट्रियों की भूमिका को लगभग समाप्त करने की दिशा में कोई और कसर नहीं रखी है।

गाँवों में

सरकार यह दावा कर रही है कि दो वर्षों में कृषि में 4% की विकास दर हासिल की गयी है। लेकिन देखना होगा कि जिन्होनें इस

विकास दर को संभव बनाया है, उनकी हालत वास्तव में क्या है? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वर्ष में कुल मिलाकर 100 दिन की भी मजदूरी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत जितने काम के दिनों का दावा किया गया है, वह 20 करोड़ की ग्रामीण बेरोजगारी के समुद्र में मात्र कुछ बूँदों के बराबर ही है। इस स्थिति के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत फण्ड और क्षेत्र के विस्तार की अपेक्षा है। परन्तु वास्तव में इस योजना के फण्ड में लगातर कमी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेराजगारी की विकराल समस्या को वास्तव में हल करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई एवं कृषि ढ़ाँचे में सार्वजनिक निवेश किया जाए, परन्तु यू.पी.ए. सरकार इस महत्वपूर्ण माँग के प्रति पूरी तरह से गूंगी बहरी बनी हुई है।

छोटे एवं मझोले किसानों को वित्तीय संस्थानों से कर्ज नहीं मिल पाता है, अगर मिलता भी तो नाम मात्र को। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कर्ज का दो तिहाई से अधिक महाजनों अथवा जमीदारों से ही आता है। यही कारण है कि अभी हाल में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण कर्ज माफी का वास्तव में कोई प्रभाव हुआ ही नहीं है। बैंकों से जारी होने वाला कृषि ऋण लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि वह छोटे एवं मझोले किसानों की पहुँच के बाहर है।

कृषि उत्पादों कें मूल्य में वृद्धि का वास्तविक लाभ भी किसानों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि कर्ज के दबाव के कारण उनकी पूरी फसल बड़े जमीदारों, महाजनों और जमाखोरों द्वारा हड़प ली जाती है। यद्यपि खाद्यान्नों की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज तो की जा रही है, इसके बावजूद भी किसान और खेतिहर मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

मजदूरों और गरीबों के बारे में

वर्तमान श्रम कानूनों के कारण जो थोड़ी सी सुरक्षा मजदूरों के अधिकारों को प्राप्त है, उसे भी एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ही पूरी तरह से समाप्त करने पर उतारू रही है। लेकिन मजदूर आन्दोलन तथा संसद में वामपंथी पार्टियों के तीखे विरोध के चलते, इसे पूरी तरह से

कर पाने में सफल नहीं हो सके है। न्यूनतम् साझाा कार्यक्रम किए गए वायदे को दरकिनार करते हुए यू.पी.ए. सरकार ने श्रम कानूनों में मालिकान समर्थक परिवर्तन जैसे ''हायर एण्ड फायर'' और काम के घंटे एवं वेतन में परिवर्तन करने की मनमानी छूट देने जैसे बदलाव करने कोशिशें की है। जिसके कुछ असफल उदाहरण इस प्रकार है।:-

☐ सरकार 500 मजदूरों तक के संस्थानों को श्रम कानूनों को लागू करने का विवरण दाखिल करने की शर्त से मुक्त करने का कानून लाना चाहती थी, परन्तु वामपंथी सांसदों के भारी विरोध के कारण संसद में नहीं ला सकी।

☐ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से सम्बन्धित बिल संसद में लाया गया, जिसमें इन क्षेत्रों में विद्यमान सभी ईकाईयों को तमाम श्रम कानूनों से मुक्त रखने का प्रावधान था, परन्तु इस तरह के सभी प्रावधानों को वामपन्थी सांसदों के भारी विरोध के चलते हटाना पड़ा।

☐ सरकार अतिलघु एवं मध्यम दर्जे के संस्थानों को कानून लाकर, श्रम कानूनों के लागू करने की अनिवार्यता से मुक्त करना चाहती थी परन्तु इन प्रावधानों को वापस लेना पड़ा।

☐ यू.पी.ए. सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और संविद श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) कानूनों में ''हायर एण्ड फायर'' का अधिकार और स्थायी प्रकृति के पदों पर ठेकेदारी को कानूनी जामा पहनाने के लिए मालिकान के हित में परिवर्तन करने के इरादे से कई प्रयास किए गए। मजदूर विरोधी इन कदमों का तीखा विरोध ट्रेड यूनियन आन्दोलन द्वारा लगातार होता रहा है।

एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ने, श्रम कानूनों में इस तरह के मालिकान समर्थक परिवर्तन करने में असफल रहने पर अपनी रणनीति बदल दी कि यदि कानून को बदला नहीं जा सकता तो कानून का उल्लंघन तो किया ही जा सकता है। पिछले 11 वर्षो से यही नीति लागू होती नजर आ रही है। श्रम कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी की ही होती, जिससे यह काम वापस लेकर मालिकों को मजदूरों का खुला शोषण करते हुए मुनाफे को कई गुना बढ़ाने का मौका दे दिया गया है। यह जंगलराज तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में साफतौर

पर देखने में आता है। कुछ सामान्य पहलू आपके समक्ष प्रस्तुत है।:–

◆ संगठित क्षेत्र में 60% से अधिक मजदूरों को आज भी राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम् वेतन से भी कम दिया जा रहा है। जबकि यह न्यूनतम् वेतन बहुत कम है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने पिछले 6 वर्षो से न्यूनतम् वेतन में संशोधन तक नहीं किया है और असंगठित क्षेत्र में तो हालत और भी अधिक गम्भीर है जहाँ 77% से अधिक मजदूरों को भी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम् वेतन नहीं मिल रहा है।

◆ संविद श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) कानून के प्रावधानों की अनदेखी इस कदर की जा रही है कि संगठित क्षेत्र में ही 70% से अधिक मजदूर ठेके पर रखे जा रहे है। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों में कुल श्रम शक्ति का 50% से अधिक ठेका मजदूर है। निजी क्षेत्र की बड़ी, छोटी एवं मध्यम दर्जे की ईकाईयों में कुल श्रम शक्ति का 80% से अधिक ठेका मजदूर है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों में भी एक जैसे काम करने वाले ठेका मजदूरों को स्थायी कर्मचारियों के वेतन का एक चौथाई से भी कम वेतन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त और किसे बर्बरता कहा जाए?

◆ एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. दोनों ने अपने शासन काल में बड़े पैमाने पर काम को ही ठेके पर देने की प्रवृत्ति (आऊट सोर्सिंग) को बढ़ावा दिया है। संगठित क्षेत्र के रेलवे, एयर लाईन्स, कोयला खदानों जैसे बड़े उद्योगों के काम का अच्छा बड़ा भाग बाहर ठेके पर देकर, छोटी उद्योगिक ईकाईयों, आपूर्तिकताओं, सेवा प्रदाताओं के यहाँ कार्यरत मजदूरों का शोषण करके मोटा मुनाफा बनाया जा रहा है।

◆ श्रम कानूनों के पालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने जाँच का काम लगभग बन्द ही कर दिया है और अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने वाला कोई है ही नहीं।

◆ निजी क्षेत्र की अधिकांशतः ईकाईयों में उचित तरीके से रोजगार रजिस्टर आदि का रखरखाव नहीं किया जाता है, नाम के लिए सिर्फ 10% मजदूरों का नाम ही रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है शेष 90% को न तो न्यूनतम् वेतन दिया जाता है, और न ही पी.एफ., ई.एस.आई. आदि अन्य कानूनी हित लाभ दिए जाते है। और यदि कोई दुर्घटना आदि हो

जाए तो इन मजदूरों को मालिकान की मनमर्जी पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

◆ निजी क्षेत्र में 12 घंटे की कार्यावधि एक सामान्य सिद्धान्त बन चुका है, यहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र में ठेका मजदूरों से भी 12 घंटे काम लिया जा रहा है। अधिकांश मामलों में 8 घंटे के अतिरिक्त समय के लिए कोई लाभ देय नहीं होता है।

◆ इन श्रमिकों को यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं है। यदि किसी तरह ये मजदूर अथवा यूनियन इनके लिए सिर्फ श्रम कानूनों के पालन करने की माँग उठा दें तो मालिकों की सेवा में लगे गुण्डों एवं पुलिस द्वारा इन्हे बुरी तरह मारा पीटा जाता है और काम से भी हटा दिया जाता है।

◆ औद्योगिक विवादों में से 90% से अधिक श्रम कानूनों के उल्लंघन, जैसे काम के घंटे, न्यूनतम् वेतन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित ही होते है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि श्रम कानूनों को लागू करने की माँगों को लेकर किसी हड़ताल अथवा प्रर्दशन का नेतृत्व करने के कारण मजदूरों को हत्या जैसे गम्भीर गैरजमानती अपराधों में फंसा दिया जाता है। वर्ष 2006–07 के दौरान अकेले तमिलनाडु में ही बहुराष्ट्रीय निगमों सहित 10 बड़ी–बड़ी फैक्टरीयों में से 300 से अधिक मजदूरों की सेवाऐं सिर्फ इसलिए समाप्त कर दी गयी कि इन्होने मजदूरों को संगठित करके यूनियन बनाने का प्रयास किया। ऐसे ही अनेकों उदाहरण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात मध्य प्रदेश आदि देश अन्य भागों में मिल जाऐगें।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एन.डी.ए. शासन से लेकर यू.पी.ए. सरकार तक, मालिकों द्वारा श्रम कानूनों को धज्जियां उड़ाकर, मजदूरों के शोषण तथा लूट में मालिकों की खुली मदद करने में लगे रहे। एन.डी.ए. एवं यू.पी.ए. ब्राण्ड की राज्य सरकारों का भी लगभग यही हाल है कि सरकार और मालिकान यूनियन बनाने तक की इजाजत नहीं देते। वामपंथ शासित राज्यों में ही सभी श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है, और श्रम कानूनों को लागू करने वाली मशीनरी मजदूरों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करती है। अपनी

जायज माँगों के लिए मजदूरों द्वारा किए जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदशनों आदि के मामले में नागरिक प्रशासनिक मशीनरी/पुलिस को दखलन्दाजी करने की इजाजत इन राज्यों में नहीं है। वामपंथी सरकारों ने अपने राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा बार–बार जोर देने के बावजूद भी हड़ताली कर्मचारियों के विरूद्ध एसमा लागू करने से साफ इन्कार कर दिया। ताजा उदाहरण पिछली जनवरी में ऑयल सैक्टर ऑफीसर्स की हड़ताल है।

पेंशन के अधिकार और प्रोवीडेन्ट फण्ड पर हमला

एन.डी.ए. सरकार ने एक तरफा तरीके से 2004 और उसके बाद नौकरी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेशन स्कीम को बदल दिया। इस नयी पेशन स्कीम के तीन प्रमुख कर्मचारी विरोधी प्रावधान है। जैसे कि 1) यह स्व वित्तपोषित है अर्थात् अपनी पेंशन के लिए कर्मचारी को स्वंय ही योगदान देना होगा। 2) इस प्रकार जो फण्ड एकत्र होगा उसे शेयर बाजार में लगाया जाएगा अर्थात् उसके डूबने की पूरी उम्मीद है। 3) इस फण्ड की व्यवस्था निजी क्षेत्र के फण्ड मैनेजर देखेगें। इस सबका एक अर्थ यह भी है कि कर्मचारी एक निश्चित प्रतिशत की दर से योगदान देगा परन्तु पेंशन कितनी मिलेगी यह बाद में शेयर बाजार से धन की वापसी पर निर्भर करेगा। यदि शेयर बाजार में यह पैसा डूब जाता है तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी और सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी को पेंशन देने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। अभी हाल में ही अमरीका और यूरोप में पेंशन फण्डों का हजारों करोड़ डालर पूरी तरह साफ हो गया, और कर्मचारियों का सब कुछ पूरी तरह से लुट गया। एन.डी.ए. ने ठीक यही व्यवस्था लागू कर दी और यू.पी.ए. भी उसी को लागू रखे हुए है। कर्मचारियों की हड़ताल और वामपंथी पार्टियों के विरोध के बावजूद भी यू. पी.ए. सरकार ने इस स्कीम को वापस लेने से इन्कार कर दिया। फिर भी यू.पी.ए. सरकार संसद से पेंशन फण्ड नियमन विकास प्राधिकरण (PFRDA) कानून वामपंथी पार्टियों के विरोध के कारण पास नहीं करा सकी है। PFRDA का गठन कर्मचारियों द्वारा दिए गए हजारों करोड़ रूपए की व्यवस्था के लिए किया जाना है। वामपंथी पार्टियाँ और ट्रेड यूनियनें अभी भी नयी पेंशन स्कीम को वापस लेने लिए संघर्ष कर रही है।

ई.पी.एफ. और ई.पी.एस. पर हमला

एम्पलॉईज प्रोवीडेन्ट फण्ड (EPF) और एम्पलॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के मामले में यू.पी.ए. सरकार भी उसी खतरनाक खेल को ही खेल रही है। एन.डी.ए. सरकार द्वारा कम किए गए पी.एफ. की ब्याज दर को ठीक करने के वायदे को दर किनार करते हुए उल्टे ब्याज दर को बार–बार कम करने का ही प्रयास किया है। एम्पलाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड ऑग्रेनाईजेशन के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों के जबरदस्त विरोध के चलते सरकार वर्तमान ब्याज 8.5% को कम करने में सफल नहीं हो सकी है। लेकिन मुद्रास्फीती के दबाव और ब्याज दर न बढ़ने के परिणाम स्परूप पी.एफ. जमा में लगातार गिरावट से कर्मचारियों जीवन भर की बचत में भारी नुकसान होने वाला है।

29 जुलाई 2008 को एम्पलाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड ऑर्गेनाईजेशन के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में काँग्रेस के नेतृत्व वाली इण्टक को छोड़कर शेष सभी केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियन्स के प्रतिनिधियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी सरकार और मालिकों के प्रतिनिधियों ने पी.एफ. की जमा राशि को, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ–साथ एच. एस.बी.सी., आई.सी.आई.सी.आई प्रूडेण्ट और रिलाईन्स कैपीटल को निवेश करने के लिए देने का निर्णय लिया है। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए मजदूरों द्वारा जोड़ी गयी मेहनत की कमाई को सट्टे बाजारी के लिए शेयर बाजार के हवाले करने का निर्णय ही है। अर्थात् इस फण्ड का निश्चित रूप से खतरे में पड़ना तय कर दिया गया है।

सम्बन्धित क्षेत्रीय पी.एफ. अधिकारियों के पास, पेंशन फण्ड में सेवायोजकों व कर्मचारियों की हिस्सेदारी को न जमा करने पर सेवायोजकों को, जमा की जाने वाली राशि का 17% –37% की दर से दण्ड का अलग से भुगतान करना होता था, जिसे यूपी.ए. सरकार ने 12% घटाकर मात्र 5% –25% करके बकाएदार सेवायोजको को भारी राहत दी है। सरकार के इस कदम से जमा न करने की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को बहुत नुकसान होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर एम्पलॉईज पेंशन स्कीम–95 (EPS-95) के तहत मिलने वाले पेंशन लाभ में भी, कुछ प्रावधानों को वापस लेकर भारी कमी

कर दी है। समय पूर्व रिटायर होने की स्थिति में प्रति वर्ष की कटौती को 3% से बढ़ाकर 4% करने के कारण पेंशन राशि में कमी कर दी गयी है। आज यह एक सच्चाई है कि मजदूरों को भारी संख्या में जबरन रिटायरमैन्ट अथवा रोजगार से हटा दिया जाता है। इस प्रकार के मजदूरों की संख्या में हर वर्ष भारी वृद्धि हो रही है। बिना किसी उचित कारण के ही पेंशन के नगदीकरण तथा पूँजी वापसी लेने के प्रावधानों को भी समाप्त कर दिया गया है।

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सर्वसम्मत सिफारिश कि पी.एफ. कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाय ताकि पी.एफ. कानून की जद में आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत न्यूनतम् मजदूरों की संख्या 20 को घटाकर 10 कर दिया जाय, यह सिफारिश सरकारी दफ्तरों की धूल खा रही है, और इस प्रावधान को लागू ही नहीं किया जा सका है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून-एक धोखा

संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हुए *"असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008"* पर यू.पी.ए. सरकार शोर मचाकर दावा कर रही है कि उसने 43 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, अपंगता हित लाभ आदि देने का अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जबकि :–

☐ इस कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है कि कितने समय में सभी असंगठित मजदूरों को इस कानून के हितलाभों के प्रभाव क्षेत्र में ले लिया जाएगा।

☐ इस कानून में शिकायत निवारण मशीनरी की कोई व्यवस्था नहीं है कि कानून का पालन न होने पर मजदूर किसे और किस प्रकार शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

☐ इस कानून में यह भी प्रावधान नहीं किया है कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पूरे देश के असंगठित मजदूरों को पहुँचाने के लिए समर्पित फण्ड की व्यवस्था क्या होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के बिना यह कानून बिना कोई वास्तविक

राहत पहुँचाए महज कोरे कागज़ के अलावा कुछ भी नही है। इस कानून के तहत लाभ देना या न देना सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा, क्योंकि इस कानून में सरकार के लिए बंधनकारी व्यवस्था नहीं है। इस अधिनियम पर संसद में बहस का जबाव देते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत बनाया जाने वाला ''राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' के द्वारा योजनाओं की सिफारिशों पर फण्ड की उपलब्धता और अन्य तथ्यों के आधार प़र सरकार निर्णय लेगी, अर्थात् संदेश स्पष्ट है कि यह अधिनियम कागजों के बण्डल के अलावा कुछ नहीं है। और अंत में यह है कि इस कानून के तहत अधिकांश योजनाऐ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों के लिए ही है। एन.एस.एस. की 2004–05 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे की परिभाषा शहरी क्षेत्र में रू० 538.60 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय और देहाती क्षेत्र में रू० 356.30 है। इसका अर्थ यह है कि 95% से अधिक मज़दूर इस कानून के तहत हितलाभ पाने के योग्य ही नहीं होंगे। यह और कुछ नहीं असंगठित मजदूरों के साथ धोखाधड़ी ही है।

भारत-अमरीका परमाणु समझौता

वामपंथी पार्टियों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद से, यू.पी.ए. सरकार ने देश और जनता के साथ धोखा और कपट के लिए अनेक कार्यवहियाँ की है। परमाणु समझौता भी एक ऐसा ही कपट है। प्रधानमंत्री ने परमाणु उर्जा से हर एक घर को बिजली से रौशन करने का दावा किया है। लेकिन तथ्य यह है कि यह सबसे बड़ा झूठ है। वर्तमान में देश में सिर्फ 3,000 मेगावाट बिजली ही परमाणु उर्जा से पैदा हो रही है, जबकि देश में ही उपलब्ध यूरेनियम की मात्रा से 10,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन किया जा सकता है। अगर परमाणु उर्जा का उत्पादन इतना जरूरी था तो देश में उपलब्ध क्षमता का उपयोग इतने वर्षों से क्यों नहीं किया गया? यह सवाल उठाते हुए महालेखा परीक्षक ने कहा है कि यह समझौता करके भारत सरकार ने देश को भारी नुकसान पहुँचाया है। वास्तविकता तो यह है कि डा० मनमोहन सिंह एण्ड कम्पनी अमरीकी कम्पनियों को परमाणु उर्जा उत्पादन में घुसाने तथा अमरीका के साथ रणनीतिक सैन्य सहयोग के लिए ही इस परमाणु समझौते का बहाना

लिया है। और इस प्रकार देश की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति को अमरीका के पास गिरवी रख दिया है। अमरीकी प्रशासन ने पहले ही भारत सरकार से यह वायदा ले लिया है कि रू० 280,000 करोड़ (न्यूनतम् 10,000 मेगावाट के लिए) के परमाणु संयंत्र अमरीका से ही खरीदे जाएगें। जो आज के ताप बिजलीघर के मूल्य से 7–8 गुना अधिक है। और परमाणु संयत्र की आपूर्ती करने वालों को किसी भी जबावदेही से भी मुक्त रखा गया है अर्थात् दुर्घटना के मामले में आपूर्तीकर्ता पर अदालत में मुकदमा भी नहीं किया जा सकता है। इस समझौते पर आगे कदम बढ़ाते हुए सरकार परमाणु उर्जा कानून में संशोधन करने का भी इरादा रखती है, ताकि इस रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को भी घुसाया जा सके। अमरीकी सम्राज्यवाद के समक्ष इस कदर घुटने टेकने के साम्राज्यवादी खेल का प्रभाव, परमाणु समझौते से परे जा कर यू.पी.ए. सरकार के द्वारा आर्थिक मोर्चे और प्रतिरक्षा आपूर्ती के मामले में लिए गए फैसलों में साफतौर पर दिखायी दे रहा है।

वित्तीय संकट और मंदी का प्रभाव

यह वामपंथी पार्टियों के विरोध और मजदूर वर्ग एव वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों के आन्दोलन का ही प्रभाव है कि सरकार महत्वाकांक्षा रखने के बावजूद भी वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त नहीं कर सकी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं कर सकी और विदेशी संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का अधिग्रहण नहीं हो सका। और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा नहीं बढ़ायी जा सकी और मुद्रा को पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका। यदि उपरोक्त सभी कुकर्म करने दिए होते तो निश्चित समझिए कि भारत के बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र का भी वही हाल होता जो अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित पश्चिमी जगत में हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यू.पी.ए. सरकार विश्व व्यापी वि्त्तीय संकट और उसके मूल कारणों से सबक लेने के बजाय, अभी कोशिश में है कि वित्तीय क्षेत्र को कानून बनाकर अनियंत्रित कर दिया जाय। इसके लिए निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी हिस्सेदारों को ज्यादा अधिकार और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी

निवेश की सीमा बढ़ाने तथा विदेशी बीमा कम्पनियों को अपनी ब्राँच भारत में खोलने देना चाहते हैं। ताकि भारत के वित्तीय क्षेत्र को उन्ही दीवालिया हो चुके विदेशी खिलाड़ियों के हवाले ही कर दिया जाय, जो वर्तमान वित्तीय संकट संकट एवं मंदी के लिए जिम्मेदार हैं।

कॉरपोरेट को मलाई और मजदूरों की धुलाई

वैश्विक वित्तीय संकट का भारी प्रभाव भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भी स्पष्ट दिखायी देने लगा है फिर भी यू.पी.ए. सरकार इससे कोई सबक लेकर देश के हित में काम नहीं करना चाहती। इस वित्तीय संकट और मंदी के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार समाप्त हो रहा है, कारखाना बन्दी हो रही है, वेतन कटौती और ले–ऑफ जैसे मजदूर विरोधी कार्यवाहियाँ निर्यात आधारित और अन्य उद्योगों में हो रही है। सरकारी अनुमान के अनुसार पिछले तीन माह में ही लगभग 5 लाख से अधिक मजदूरों की नौकरियाँ छीन ली गयी हैं। बन्दी, ले–ऑफ, श्रम शक्ति मैं कटौती, आंशिक बन्दी, आपूर्ति श्रंखला में ऑडर में कमी आदि तरीकों से कपड़ा, ऑटोमोबाईल, रत्न–आभूषण, लौह अयस्क व अन्य खदानों, ट्रान्सपोर्ट, इन्जीनियरिंग, सूचना तकनीक, भवन निर्माण आदि उद्योगों में लगभग 40 लाख से अधिक कामगारों पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है, और आने वाले समय में यह खतरा और अधिक बढते रहने की ही संभावना बनी हुई है। बड़े उद्योगों के लिए सहायक के रूप में काम करने वाली छोटे एवं मझोले आकार की उद्योगिक ईकाईयाँ, जिनमें लाखों कामगार कार्यरत है, पूरी तरह से बन्द हो चुकी हैं।

मंदी के कारण, देश–विदेश से ऑडर्स में कमी आने से, उत्पादन में कटौती करके रोजगार समाप्त किया जा रहा है, और श्रम कानून लागू करने के जिम्मेदार मशीनरी छंटनी के शिकार मजदूरों का साथ देने के बजाय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकान का ही साथ दे रही है। इस हालत में ब्याज दरों में कटौती, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को भारी–भरकम पैसा देने से भी निर्माण क्षेत्र में विनिवेश नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी निजी क्षेत्र का मालिक जिस माल के विक्रय की कोई संभावना ही नहीं है, उसके लिए क्यों निवेश

करेगा? इसलिए वह कम ब्याज दर का लाभ अपने नुकसान की भरपाई अथवा अपने ब्याज की देनदारी के लिए करेगा न कि रोजगार के सृजन के लिए। टैक्सों में कटौती का भी यही हश्र होने वाला है। अतः सरकार द्वारा दिए जाने वाली इन रियायतों से रोजगार सृजन में कोई इजाफा होने की कोई संभावना नहीं है। और यू.पी.ए. सरकार को मिल मालिकों और व्यापारियों के मुनाफे के ऊँचे स्तर को बनाए रखने की चिन्ता तो है, परन्तु उन लाखों कामगारों की कोई चिन्ता ही नहीं है। जिनका रोजगार छीनकर भूखा मरने के लिए सड़को पर फैंक दिया गया है।

ऐसी हालत में सरकार को सीधा हस्तक्षेप करते हुए कृषि ढ़ाँचे के विकास और भवन निर्माण में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा एवं राहत आदि मे निवेश करने के साथ–साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना तथा राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का देहाती क्षेत्र विस्तार करना होगा। अर्थात् रोजगार की रक्षा करते हुए ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत दी जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र का दखल ढ़ाँचागत अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाकर ही वास्तव में इस वित्तीय संकट एवं मंदी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार एक गलत ही दिशा में चल रही है। सरकार पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसी योजनाओं की बात कर रही है, जो इस मंदी के चलते कभी शुरू होने वाली ही नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर ताप एवं जल विद्युत के बड़े प्रोजेक्ट जिनके ठेके एक वर्ष पूर्व ही दे दिए गए, ठेके लेने वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने अभी तक भी कोई काम शुरू ही नहीं किया है, क्योंकि मंदी के इस दौर में वित्तीय बाजार से उधार लेकर पूँजी निवेश करना ही नहीं चाहते है। इन सभी ठेकों को जुर्माना वसूलकर समाप्त करके, प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप देना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो सके और मजदूरों को रोजगार मिल सके।

वैकल्पिक व्यवस्था - वामपंथी सरकारों का प्रोत्साहन

जनता की हितैषी समझ के आधार पर पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार और केरल की वाम जनवादी सरकार ने समाज

कल्याण के लिए पैकेज की घोषणाऐं की है। जो साफतौर पर यू.पी.ए. सरकार से अलग ही नजर आती है। लाजमी ही है कि राज्य सरकारों की अपनी सीमाऐं है। परन्तु दिशा तो अलग ही है। प० बंगाल में स्पेशल पैकेज के तहत रू० 5106 करोड़ में से अधिकांशतः सरकारी खजाने से ही है, जैसे राज्य की विशेष आवास योजना के लिए रू० 1000 करोड़, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए रू० 2 प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराने के लिए रू० 370 करोड़, स्वः रोजगार के समूहों के लिए बैंकों से मात्र 4% की सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए रू० 30 करोड़, बागवानी, पशु संसाधन विकास एवं मछली पालन में रोजगार के विशेष कार्यक्रम के लिए रू० 30 करोड़, हथकरघा उद्योग को राहत एवं विकास के लिए रू० 55 करोड़, धान और अन्य खाद्यान्नों को रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर गोदाम बनाने के लिए रू० 30 करोड़, प्रत्येक ब्लॉक में लघु उद्योग के विकास के लिए रू० 125 करोड़, बड़े और मझोले उद्योगों के लिए भूमि बैंक स्थापित करने के लिए रू० 500 करोड़, सड़क, पुल एवं पूर्व–पश्चिम मैट्रो रेल के विकास के लिए रू० 375 करोड़, स्कूलों में 1000 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए रू० 150 करोड़, 50 हजार प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने के लिए रू० 250 करोड़ नए मदरसे स्थापित करने के लिए रू० 30 करोड़।

अल्पकालिक स्कूल/कालेज टीचर्स, पैरा टीचर्स, सहायकों आदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की वेतन बढ़ोत्तरी, राज्य की विशेष पेंशन स्कीम का सभी श्रेणियों में 25% विस्तार करने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोवीडेन्ट फण्ड स्कीम का विस्तार और अधिक 7 लाख मजदूरों तथा और अधिक 5 लाख भूमिहीन मजदूरों में करने के लिए रू० 250 करोड़, स्वास्थ्य ढ़ाँचें में सुधार के लिए रू० 200 करोड़, अन्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आँगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहायकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, आदि के वेतनों में वृद्धि के लिए रू० 95 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार केरल की वाम जनवादी सरकार ने जो पैकेज जारी किया है उसमें रू० 2 प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराने, राज्य की विशेष पेंशन स्कीम के तहत देय पेंशन राशि में वृद्धि करने, 41,500

परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज राहत तथा पेय जल, सिंचाई, अन्य सार्वजनिक योजनाओं आदि के ढाँचागत विकास के लिए रू० 10,000 करोड़ का पैकेज, ई.एम.एस. आवास योजना, राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पुर्नजीवित करने के लिए रू० 800 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित धान खरीद मूल्य पर रू० 2 प्रतिकिलो की अतिरक्त वृद्धि, किसानों को कर्ज राहत के लिए रू० 25 करोड़, मछुआरों को कर्ज राहत के लिए रू० 10 करोड़ और मंदी के शिकार होकर वापस केरल लौट रहे अनिवासी केरलियों के कल्याण के लिए फण्ड की व्यवस्था की गयी है।

भाजपा की भूमिका

यू.पी.ए. सरकार के 5 वर्ष की कारगुजारियाँ और अन्ततः अन्तिम वर्ष आम जनता के लिए पूरी तरह से दुःखदायी ही साबित हुआ है। लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों की भूमिका भी कोई भिन्न नहीं रही है। विशेष रूप से साम्प्रदायिक और अलगाववाद के नजरिए से संघ परिवार का पूरा खुलासा ही हुआ है। अल्पसंख्यकों विरूद्ध घृणा का प्रचार और उन पर हमलों ने पूरे देश में जगह–जगह टकराव पैदा किए है। गुजरात और उड़ीसा के कन्धमाल की घटनाओं के साथ–साथ, अभी हाल में खुले मालेगाँव धमाकों में संघ परिवार के शामिल होने से, आतंकियों से मिले होने के सबूत आदि आपराधिक कारनामों से स्पष्ट हो जाता है कि ये आम जनता और देश के नम्बर एक दुश्मन हैं। यद्यपि वह अपने को काँग्रेस के उलट होने का दावा ही करते है। परन्तु जब कभी भी आम जनता या मज़दूरों के मुद्दों पर सरकार के साथ वामपंथी पार्टियों या मजदूरों का टकराव हुआ तो वह हमेशा काँग्रेस के साथ ही नजर आए। अर्थ नीति के मामले में यू.पी.ए. सरकार ने वही अपनाया जो भाजपा नेतृत्व वाले एन.डी.ए. के शासन्काल में तय किया गया था। मजदूर वर्ग को नई सरकार के लिए वोट डालते समय इन दोनों की भूमिका को भली–भाँति समझना होगा।

काँग्रेस और भाजपा दोनों को हराओ

पूरा देश इस समय बहुत संवेदनशील चौराहे पर खड़ा है। यू.पी.ए.

और एन.डी.ए. दोनों के शासनकाल का देश व जन विरोधी रिकार्ड एक सबक के रूप में आम जनता के सामने है। विश्व स्तरीय वित्तीय संकट ने इस सच्चाई को भी सामने ला दिया है कि वैश्वीकरण की नीतियाँ पूरी तरह गलत और जन विरोधी ही थी और वामपंथी पार्टियों एवं वामपंथी ट्रेड यूनियनों का इन नीतियों से विरोध एक दम उचित ही था। यही एक सच्चाई है कि हम अपने वित्तीय क्षेत्र को सम्पूर्ण अनियंत्रित और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण न होने दें, तभी हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ वामपंथी पार्टियों और मजदूर वर्ग के आन्दोलन ने ही इन राष्ट्रविरोधी कदमों पर रोक लगायी है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम ऐसा न होने दे और कॉंग्रेस एव भाजपा दोनों के गठबन्धनों को पूरी शिकस्त दें। वामपंथी पार्टियों का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण ही जन समर्थक विकल्प और जनता के पूर्ण विकास की दिशा दे सकता है। देश की जनता की एकता और देश की अखण्डता की रक्षा कर सकता है। देश में चल रही वामपंथी सरकारों ने तमाम तरह की सीमाओं के बावजूद भी यह साबित किया है कि जन समर्थक नीतियों पर चलते हुए देश के विकास का ठोस विकल्प संभव है। देश और मेहनतकश जनता की रक्षा के लिए सीटू सभी मजदूरों, कर्मचारियों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों से अपील करती है कि अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करें और वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट तथा समर्थन देते हुए कॉंग्रेस व भाजपा दोनों को करारी शिकस्त देकर सत्ता से दूर रखें।

वामपंथी–जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष
पार्टियों को वोट दो!

यू.पी.ए. एवं एन.डी.ए.
दोनों को ही शिकस्त दो!

जनहितैषी विकल्प को जिताओ!

मार्च 2009

मूल्यः 5 रूपए

एम के पंधे द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र
बी टी आर भवन, 13 –ए राउज़ ऐवेन्यू, नई दिल्ली -- 110002
के लिए प्रकाशित

प्रोग्रेसिव प्रिटंर्स,
ए–21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया,
जी0 टी0 रोड, शाहदरा, दिल्ली – 95
से मुद्रित